न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–211/2012/76 (2012/00005)

1. ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी बिलियाखुर्द, तहसील व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सम्पतबाई पुत्री जीवणराम शर्मा,
2. श्रीमती कमलाबाई पुत्री जीवणराम शर्मा,
   समस्त जाति ब्राहम्ण, नि0 बिलियाखुर्द, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
3. जानीबाई पुपत्री जीवणराम शर्मा पत्नि ईश्वरलाल शर्मा, नि0 पालड़ी, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
4. श्रीमती नर्मदा बाई पुत्री जीवणराम शर्मा पत्नि सीताराम शर्मा, निवासी लोडा महुआ, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
5. श्रीमती लीला पुत्री प्यारी पत्नी उदयलाल, नि0छापेरल, तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा ।
6. चंचल पुत्री प्यारी पत्नि फूलशंकर शर्मा, नि0 लोडा महुआ, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
7. जुगलकिशोर पुत्र रूपलाल शर्मा, नि0 मन्शा, तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
8. भैरू पुत्र रूपलाल शर्मा, नि0 मन्शा, तह0 कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा ।
9. मंजू पुत्री रूपलाल शर्मा पत्नि शिवलाल, नि0 उदलियास, तह0 कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा ।
10. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 4.10.2012 अंतर्गत अपील संख्या 523/2012.

उपस्थितः–

1. श्री लोकेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 10 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 25.1.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 4.10.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बिलियाखुर्द में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 211 से 217 व 1114, 1116, 1133, 1134 कुल किता 11 कुल रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा एवं ग्राम आरजिया में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 1881 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा तथा चाह खसरा नंबर 1030 रकबा 4 बिस्वा व खसरा नंबर 1032, 1798, 1799 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार अपीलांट के पिता जीवणराम पुत्र धन्ना ब्राहम्ण थे एवं उक्त आराजियात जीवणराम की स्वअर्जित आराजियात थी । खातेदार जीवणराम ने अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 5.11.2007 को निष्पादित कर दिनांक 12.11.2007 को उप–पंजीयक, भीलवाड़ा के समक्ष अपीलांट के पक्ष में पंजीकृत करवाया । जीवणराम का निधन दिनांक 19.2. 2011 को हो जाने पर अपीलांट ने उक्त आराजियात रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर स्वंय के नाम नामांतकरण स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की। तहसीलदार, भीलवाड़ा ने प्रकरण दर्ज कर जरिये अखबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाकर आपत्तियां मांगी जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत अपना क्लेम प्रस्तुत किया । तहसीलदार ने अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की आपत्ति एवं बहस का अवलोकन करने उपरांत आदेश दिनांक 22.6.2012 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत् नामांतकरण स्वीकार कर नामांतकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये । तहसीलदार, भीलवाड़ा के उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रथम अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 4.10.2012 द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 22.6.2012 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात अपीलांट के पिता जीवणराम पुत्र धन्ना की स्वअर्जित खातेदारी की भूमियां थी। अपीलांट के पिता जीवणराम ने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजियात की वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दी थी तथा जीवणराम की मृत्यु उपरांत अपीलांट उक्त पंजीकृत वसीयत के आधार पर विवादित आराजियात अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है । विवादित भूमियां जीवणराम की स्वअर्जित होने से वसीयत, बख्शीश करने का जीवणराम को पूर्ण अधिकार था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर विवादित आराजियात को पैतृक होने का कथन किया था किन्तु भूमियां पैतृक होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये थे इसीलिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ने अपीलांट के नाम वसीयत के आधार पर नामांतकरण के आदेश दिनांक 22.6.2012 को पारित किये थे जो विधिसम्मत् है । अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ने पंजीकृत वसीयत के गवाहों के शपथ पत्र एवं बयानों से वसीयत को प्रमाणित भी कराया था इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर ने पुनः उसी बिन्दु जिसे तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं साक्ष्य लेकर तय किये थे, के आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार के समक्ष रेस्पो0 द्वारा आपत्तिया प्रस्तुत होने पर तहसीलदार ने भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित किया था और ऐसे आदेश के विरूद्ध धारा 135 (2) राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत अपील जिला कलक्टर के समक्ष संधारण योग्य नहीं थी बल्कि न्यायालय हाजा को ही अपील सुनने का क्षैत्राधिकार था । इस संबंध में जिला कलक्टर के समक्ष अपीलांट द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलक्टर को प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने के बजाय आदेश 7 नियम 10 (2) जा0दी0 के तहत सक्षम न्यायालय में प्रकरण भिजवा देना चाहिये था, किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत को फर्जी होने का कथन किया किन्तु नामांतकरण की कार्यवाही में वसीयत की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अपीलांट के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 4.10.2012 अपास्त किया जाने का अनुरोध किया । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट 1997 (1) पेज

137, आर0बी0जे0 2002 (9) पेज 290 एवं आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 650 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

5- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमियां पैतृक थी जिसे मृतक खातेदार जीवणराम को वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । अपीलांट ने जो वसीयत प्रस्तुत की है वह फर्जी वसीयत है । वसीयत को लेकर विवाद होने की स्थिति में तहसीलदार को वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही से बचना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार कर वसीयत की गई आराजियात पैतृक है अथवा स्वअर्जित इस संबंध में जांच करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । प्रकरण में मुख्य विवाद विवादित आराजियात पैतृक है अथवा स्वअर्जित भूमि ? इस संबंध में अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजियात मृतक जीवणराम की स्वअर्जित सम्पति थी इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन रहा है कि विवादित आराजियात पैतृक होने से जीवणराम को विवादित आराजियात वसीयत करने का अधिकार नहीं था । यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित भूमि पैतृक पाई जाती है तो विवादित आराजियात में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 में अंकित प्रावधानों के अनुसार मृतक हिन्दु की सम्पति में पुत्र व पुत्रियों का समान अधिकार है । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में विवादित आराजियात पैतृक अथवा स्वअर्जित होने के संबंध में गुणावगुण पर कोई उल्लेख नहीं किये जाने से विद्वान जिला कलक्टर ने तहसीलदार, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 22.6.2012 अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया है कि विवादित भूमि स्व0 जीवणराम के जीवनकाल की स्वअर्जित है अथवा पैतृक, इस बिन्दु पर पक्षकारान को समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर प्रकरण को अजसरे से निर्णित करे । विवादित आराजियात पैतृक थी अथवा नहीं इसकी जांच उपरांत ही इस बिन्दु का विनिश्चयन हो सकेगा की मृतक जीवणराम को विवादित आरायिजात को वसीयत करने का विधिक अधिकार था अथवा नहीं । अधी0न्याया0 द्वारा विवादित आराजियात के पैतृक होने अथवा नहीं होने के संबंध में जांच किये जाने संबंधी निर्णय में हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 4.10.2012 यथावत् योग्य पाया जाता है ।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 211/2012 (2012/00005) बउनवानी ओमप्रकाश बनाम सम्पतबाई व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.10.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 25.1.2018को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर